[2019] 13 S.C.R. 819

मणि पुष्पक जोशी

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या. 1517/2019) 17 अक्टूबर, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमन्त गुप्ता, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 319 और धारा 161, 164 – पीड़िता (उम्र लगभग 6 वर्ष) के पिता द्वारा उस पर यौन उत्पीड़न के बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई
–प्रोसेक्यूट्रिक्स ने अपने बयान में अन्य बातों के अलावा कहा कि जब वह अपनी कक्षा में लौटी, तो दो आदमी आये; उनमें से एक ने चश्मा पहना था और दूसरे ने नहीं, और उसे वहां से ले गए – उसने बताया कि दो लोगों ने पहले भी उसे छुआ था और बगीचे में पांच बार पहले भी उसके साथ गुप्त रूप से मारपीट की थी – अपीलकर्ता वह व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने चश्मा पहना हुआ था , जैसा कि पीड़ित ने पहचाना – अपीलकर्ता को बुलाने के लिए आवेदन दायर किया गया – अपील पर, आयोजित किया गया: अभियोक्त्री एक छोटी बच्ची है – जैसा कि अभियोक्ता के पिता ने एफआईआर में खुलासा किया है, प्रारंभिक संस्करण में अभियोक्ता के पिता और खुद अभियोक्ता पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया है – यह बच्चे के माता–पिता हैं जिन्होंने तस्वीरें या तो वेबसाइट से ली थीं स्कूल या फेसबुक से किसी चश्मे वाले व्यक्ति को आरोपी के रूप में पेश करना – जाहिर है, बच्चे के पिता को स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए क्योंकि जब उनकी बच्ची अपीलकर्ता द्वारा प्रबंधित स्कूल में पढ़ रही थी तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था – लेकिन, अपीलकर्ता सहित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पिता का गुस्सा आईपीसी की धारा 376(2), आईपीसी आर/डब्ल्यू एसएस के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। POCSO अधिनियम की धारा 5/6 – छोटे बच्चे का उल्लंघन करने में अपीलकर्ता की ओर से किसी भी सक्रिय भूमिका का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है – यह परिवार की विचारोत्तेजक भूमिका है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ता को फंसाने के लिए बच्चे के दिमाग को प्रभावित करती है – तथ्य यह है कि जांच के बाद अभियोजन पक्ष को वर्तमान अपीलकर्ता पर आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है – किए गए जघन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह स्कूल के प्रबंधन का हिस्सा था – ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को बुलाने के लिए अलग रखा गया है – भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2) – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – एसएस। 5, 6.

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: 1.1 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2) के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता को तलब करने का आदेश, यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा की धारा 5/6 के साथ पढ़ा गया

अपराध अधिनियम, 2012 कानून में टिकाऊ नहीं है। अभियोक्त्री एक छोटा बच्चा है. यह बच्चे के माता–पिता हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति से परिचय कराने के लिए स्कूल की वेबसाइट से या फेसबुक से तस्वीरें ली हैं

आरोपी के रूप में चश्मा. जैसा कि पीड़िता के पिता ने एफआईआर में खुलासा किया है, पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बारे में प्रारंभिक संस्करण में एक व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन पीडब्लू–11 के बयान के मद्देनजर, गुस्सा उस स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ था जिसका अपीलकर्ता हिस्सा है। भले ही बच्चे के पिता के पास स्कूल के प्रबंधन से नाराज होने का आधार हो, लेकिन प्रथम दृष्टया छोटे बच्चे का उल्लंघन करने में अपीलकर्ता की ओर से किसी भी सक्रिय भूमिका का कोई मामला नहीं बनता है। प्रभावशाली उम्र के बच्चे के बयान पर अन्य व्यक्तियों की भागीदारी यह विश्वास पैदा नहीं करती है कि अपीलकर्ता पर संहिता की धारा 319 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। वास्तव में, यह परिवार की विचारोत्तेजक भूमिका है जो अपीलकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से फंसाने के लिए बच्चे के दिमाग पर प्रभाव डालती है। जाहिर है, बच्चे के पिता के मन में स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा होगा क्योंकि जब उनकी बच्ची अपीलकर्ता द्वारा प्रबंधित स्कूल में पढ़ रही थी तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन, अपीलकर्ता सहित स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ पिता का गुस्सा नहीं है। आईपीसी की धारा 376(2) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। [पैरा 9, 13–15] [827–एफ–जी; 828–ए–डी] 1.2 चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए बच्चे का बयान उसे अपराधों के मुकदमे में खड़ा करने के लिए प्रथम दृष्टया से अधिक खुलासा करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इसलिए, अपीलकर्ता को संहिता की धारा 319 के तहत तलब करने का आदेश कानूनी नहीं है। तथ्य यह है कि जांच के बाद अभियोजन पक्ष को वर्तमान अपीलकर्ता पर आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है , इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किए गए जघन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह स्कूल के प्रबंधन का हिस्सा था।

मणि पुष्पक जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य

अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, जो अदालत के समक्ष लंबित अपराधों के लिए उसके मुकदमे की गारंटी देता है। विचारण द्वारा पारित आदेश अदालत द्वारा अपीलकर्ता को संहिता की धारा 319 के तहत बुलाने का आदेश रद्द कर दिया गया है और आवेदन खारिज कर दिया गया है। [पैरा 16–17] [828–ई–जी]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। (2014)3 एससीसी 92 का अनुसरण किया गया।

लाभुजी अम्रतजी ठाकोर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य AIR 2019 SC 734 पर भरोसा किया।

केस कानून संदर्भ (2014) 3 एससीसी 92 के बाद पैरा 11 एआईआर 2019 एससी 734

पैरा 12 पर भरोसा किया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1517।

2019 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 89 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय और आदेश दिनांक 03.04.2019 से।

नरेश कौशिक, मनोज जोशी, श्रीमती ललिता कौशिक, संदीप तिवारी, गिरीश चंद्र जोशी और वर्धमान कौशिक, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

–कुलदीप परिहार, उप. ए.जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जसवन्त सिंह रावत, सुश्री रचना गांधी, अजीत पांडे, सनप्रीत सिंह अजमानी, वरुण

मिश्रा, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, मनोहर प्रताप। जुगल किशोर गुप्ता,

कुलदीप राय और सुश्री मंजू जेटली, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए. न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हेमन्त गुप्ता, जे.

1) वर्तमान अपील में चुनौती 3 अप्रैल, 2019 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, आबादकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1 की धारा 319 के तहत एक आदेश जारी किया गया है । .

2) अप्रैल के पिता हरप्रीत सिंह (उम्र लगभग 6 वर्ष) द्वारा 19, 2017 को दोपहर 1:23 बजे उनकी बेटी पर यौन उत्पीड़न के बारे में एक रिकॉर्डिंग की गई थी। इस प्रकार है:

"मेरी बेटी xxxx, जो 6 साल की है, को उसके स्कूल ऑरम द ग्लोबल स्कूल हलद्वानी में 4–5 महीने से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी बेटी कई दिनों से मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और स्कूल जाने के लिए कहने पर फूट–फूट कर रोने लगती थी। मेरे कई बार पूछने पर उसने मुझे और मेरी पत्नी को बताया कि उसके स्कूल में एक टीचर ने जानबूझकर उसके गुप्तांगों को छुआ था. वह उसे बाथरूम में ले जाता, उसकी आंखें बंद कर देता और फिर उसकी योनि में एक छड़ी जैसी वस्तु डाल देता। इस टीचर ने उसे डरा दिया था और उसने उसे इस मामले के बारे में किसी से बात न करने के लिए उकसाया था. मेरी बेटी ने मुझे यहां तक बताया कि, जब भी वह बाथरूम जाती थी, वह उसका पीछा करता था और वहां उसके साथ छेड़छाड़ करता था। आज हमने फेसबुक के माध्यम से अपनी बेटी को इस शिक्षक की तस्वीर दिखाई तो उसने इन्हें पहचान लिया और परिणाम स्वरूप हमें पता चला कि इस शिक्षक का नाम बब्लू बिष्ट है। सर, इस मामले में स्कूल के मालिक अंकित जोशी, प्रिंसिपल गौरी वोहरा और क्लास टीचर नमिता जोशी समान रूप से दोषी हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।"

3) एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच अधिकारी द्वारा 19 अप्रैल, 2017 को संहिता की धारा 161 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था। बयान से कुछ प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"पापा ने पूछा तो मैंने पापा को बब्लू अंकल की घटना के बारे में बताया, मेरी मां भी वहां थीं. बब्लू अंकल ने पहले भी की थी ये हरकतें – 3 दिन पहले भी उन्होंने यही हरकत की थी। जब से मैं पहली कक्षा में आया, उसने तीन बार यही काम किया है।

प्रश्न: क्या आपको पहले का कोई उदाहरण याद है जब बब्लू अंकल या घर या स्कूल के किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो?

उत्तर: आंटी जब मैं एलकेजी और यूकेजी में पढ़ती हूं तब भी कभी–कभी बब्लू अंकल मेरे साथ ऐसी हरकतें करते थे, इसके अलावा किसी और ने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया।'

4) बाद में, 22 अप्रैल, 2017 को संहिता की धारा 161 के तहत पीड़िता का एक और बयान दर्ज किया गया , जिसमें उसने कहा कि जब वह शौचालय से लौटी, तो दो चाचा आए और उसे उठाकर ले गए। एक अन्य सवाल के जवाब में बच्चे ने जवाब दिया कि ये दोनों व्यक्ति स्कूल के बाहर काम करते हैं. इस सवाल के संबंध में कि क्या उसने इन लोगों को पहले देखा है, जवाब था कि वे स्कूल में घूमते थे। बयान का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"बच्चे के माता–पिता द्वारा स्कूल की वेबसाइट से ली गई प्रिंट तस्वीरें दिखाने पर, लड़की ने बब्लू बिष्ट की तस्वीर के लिए हाँ कहा और एक अन्य व्यक्ति की एक और तस्वीर की ओर इशारा किया। जब हमने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी मैडम को बताया है तो उन्होंने कहा कि वह चार बार बता चुकी हैं.'

5) इसके बाद, 24 अप्रैल, 2017 को संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जहां उसने पहली बार गवाही दी कि जब वह अपनी कक्षा में लौटी, तो दो आदमी आए; उनमें से एक ने चश्मा पहना था और दूसरे ने नहीं। उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाला. उसने बताया कि पहले भी दो लोगों ने उसे छुआ था। उसने यह भी बताया कि उसने अपने माता–पिता को घटना के बारे में बताया है और दो व्यक्तियों ने पहले बगीचे में गुप्त रूप से उसके साथ पांच बार हमला किया था। बताया जाता है कि अपीलकर्ता वह व्यक्ति है जिसने चश्मा पहन रखा था। जांच टीम द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्यों के आधार पर बब्लू बिष्ट उर्फ बलवंत सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू–1 के रूप में पीड़िता के पिता हरप्रीत सिंह से पूछताछ की है, जिन्होंने निम्नानुसार गवाही दी है:

"जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तो उसने कुछ नहीं बताया. जब मैंने उसे विश्वास में लिया और उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने मुझसे वादा करने को कहा कि मैं उसे स्कूल नहीं ले जाऊँगी और इस पर उसने मुझे बताया कि स्कूल में एक शिक्षक अंकल ने उसे परेशान किया और उसके निजी अंगों (स्थान) को छुआ पेशाब करने की) और मेरे पेशाब करने की जगह पर एक रॉड जैसी वस्तु घुसा देता है और लगा देता है। यह कहते हुए साक्षी ने कहा कि मेरे पास उसे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं बचा था. मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम उसे अब उस स्कूल में नहीं भेजेंगे। इसके बाद मैं और मेरा परिवार काफी देर तक रोते रहे. (उपरोक्त बात बताते हुए गवाह कोर्ट में भी रो पड़ा).

इसके बाद मेरी पत्नी मेरी बेटी को एक अलग जगह पर ले गई, जबकि मैंने स्कूल के पुरुष सदस्यों की प्रोफ़ाइल खोजी। चार पुरुष सदस्य मिले। मैंने इन तस्वीरों को अलग–अलग बड़ा किया और अपने बच्चे को दिखाया; इनमें से तीन लोगों को उसने मना कर दिया और जब उसे बब्लू बिष्ट की फोटो दिखाई गई तो वह कुछ नहीं बोली और चुप हो गई। जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने फिर जिद की कि वह स्कूल नहीं जाएगी, तभी उसने डरते हुए कहा कि उसने उसे परेशान किया है.

इसके बाद मैंने अपनी बेटी से इस मामले पर आगे कोई बात नहीं की.' मैंने उससे अन्य चीजों के बारे में बात की ताकि उसे आश्वस्त किया जा सके कि हम उसे उस स्कूल में नहीं भेजेंगे। इसके बाद मैं अपने भाई मनप्रीत सिंह के घर गया और उसे हरलीन के साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया. तब मैंने दिनांक 19.04.2017 को थाना हल्द्वानी में घटना की शिकायत रिपोर्ट दर्ज करायी।

गवाह ने दस्तावेज़ नं. मुद्रित शिकायत 3ए/2 में कहा गया है कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी और मैंने इस पर अपने हस्ताक्षर करके पुलिस स्टेशन में जमा कर दी थी। गवाह ने इस दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर का समर्थन किया। इस दस्तावेज़ को प्रदर्शनी A–1 के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उसे पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में भेज दिया.

गवाह ने आज खुद कहा कि निरीक्षक ने उससे फेस बुक से निकाली गई तस्वीरों का प्रिंट आउट लाने को कहा था. इस पर हमने टीचर, मालिक और प्रिंसिपल की तस्वीर निकाली और बच्ची को दिखाई तो उसने बताया कि चश्मा पहने शख्स ने उसका हाथ भी पकड़ा और उसे परेशान किया. चश्मे वाला आदमी स्कूल का मालिक था।

6) अभियोजक पीडब्लू–2 के रूप में उपस्थित हुआ। जब गवाह को तस्वीरें दिखाई गईं तो उसने दो व्यक्तियों की पहचान की, जिनमें से एक ने चश्मा पहना हुआ था।

7) पीड़िता की मां सुप्रीत कौर (पीडब्लू–10) ने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि दो लोगों ने उसे परेशान किया, उनमें से एक ने चश्मा पहन रखा था।

8) गौरी वोहरा (पीडब्लू–11) उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं जिसमें अभियोक्ता छात्रा थी। वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक उनके बयान का उद्धरण इस प्रकार है:

"मैंने शिकायत सेल के सदस्यों को बुलाया, जिसमें मैं, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती आशु पंत और प्रियंका शामिल हैं। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने हमें बलवंत और अन्य स्टाफ सदस्यों को बुलाने के लिए कहा। मैंने पांडेजी से बलवंत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उस दिन छुट्टी पर थे. इसके बाद मैंने मणि सर, जो हमारे स्कूल के मैनेजर हैं, को फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी.

तभी पीड़िता के पिता कार्यालय में आये और हम पर चिल्लाने लगे. हालाँकि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं बलवंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाला पहला व्यक्ति बनूँगा। इसके जवाब में पीड़िता के परिजन भड़क गये और आरोप लगाया कि हमने बलवंत सिंह को वहां से भागने में मदद की है और मणि सर से बात करना चाहते हैं.

मैंने उन्हें बताया कि मणि सर उस वक्त देहरादून में थे और वहां से वापस लौट रहे थे. इस बीच स्कूल में कई लोग जमा हो गये. जिनमें से कई लोग अपने बच्चों को वापस घर ले जाने आए थे। पीड़िता के परिजन अब इन लोगों को भड़काने लगे. हमने उनसे अनुरोध किया कि वे बच्चों को सुरक्षित घर वापस जाने दें।

लेकिन पीड़ित परिवार चिल्लाने लगा कि हम बच्चों को घर वापस नहीं जाने देंगे. कुछ ही देर में दीपक बल्यूटिया और सुमित टिक्कू स्कूल आये। इसके तुरंत बाद, पीड़िता के परिवार के सदस्यों और भीड़ ने स्कूल की संपत्ति को तोड़ना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया।"

9) पीड़िता के पिता ने पीड़िता द्वारा पहचाने गए चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस तरह के आवेदन को 20 फरवरी, 2019 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजक ने बार –बार अपने बयान में सुधार किया है। अपीलकर्ता की पहचान स्कूल की वेबसाइट या फेसबुक से ली गई तस्वीर से की गई है, हालांकि अपीलकर्ता शिक्षण संकाय का सदस्य नहीं है, बल्कि प्रबंधन का हिस्सा है। पीड़िता द्वारा अपने पिता के साथ घटना का विवरण साझा किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पहले संस्करण में आरोप केवल एक व्यक्ति के खिलाफ हैं। संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए पहले बयान में , फिर से आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ हैं। दरअसल, पीड़िता ने साफ तौर पर कहा है कि बब्लू के अलावा किसी और ने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया। तीन दिन बाद दर्ज किए गए संहिता की धारा 161 के तहत दूसरे बयान में , हमलावर दो हो गए और दोनों स्कूल के बाहर काम करते हैं। वह स्कूल की वेबसाइट से ली गई बब्लू की तस्वीर की पहचान करती है और दूसरे

व्यक्ति की एक तस्वीर बताती है। इसके बाद 24 अप्रैल, 2017 को दर्ज किए गए संहिता की धारा 164 के तहत उसके बयान में कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा है।

11) हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने संहिता की धारा 319 के दायरे की जांच करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:

"100. हालाँकि, ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 227 , 228 , 239 , 240 , 241 , 242 और 245 के प्रावधानों से निपटते हुए लगातार यह माना है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को आवेदन करना होगा। उसके दिमाग में यह सवाल है कि क्या आरोपी द्वारा अपराध करने का अनुमान लगाने का कोई आधार है या नहीं। अदालत को यह देखना होगा कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री आरोपी को अपराध से उचित रूप से जोड़ती है या नहीं। 2 (2014) 3 एससीसी 92 से पूछताछ के लिए और कुछ की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त प्रावधानों से निपटते समय, प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण लागू किया जाना है। अदालत को यह पता लगाना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश की जाने वाली सामग्री अदालत के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ... ... xx xx xx

105. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से मजबूत और ठोस सबूत मिलते हैं, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए, इसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, अगर खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो जाएगी। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 में यह प्रावधान करने का उद्देश्य कि यदि "साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है" तो "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके। इसलिए, धारा 319 सीआरपीसी के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

12) लाभुजी अम्रतजी ठाकोर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 3 में , इस न्यायालय ने माना कि न्यायालय को साक्ष्य के सार पर विचार करना होगा, जो उसके सामने आया है और परीक्षण लागू करना होगा, अर्थात, "प्रथम दृष्टया मामले से अधिक" जैसा कि आरोप तय करने के समय 3 एआईआर 2019 एससी 734 में किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी थी कि सबूत, अगर खंडन नहीं किया गया, तो सजा हो जाएगी। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया:–

“उच्च न्यायालय इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि पीड़िता और उसकी मां के बयान से सामने आए रिकॉर्ड के सबूत भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं। केवल तथ्य यह है कि अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है जिसका नाम एफआईआर या आरोप पत्र में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी अदालत के समक्ष दर्ज किए गए बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत यांत्रिक रूप से प्रक्रिया जारी करनी होगी। न्यायालय को साक्ष्य के सार पर विचार करना होगा, जो उसके सामने आया है और जैसा कि हरदीप सिंह (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है, परीक्षण को लागू करना होगा, अर्थात , "प्रथम दृष्टया मामले से अधिक, जैसा कि आरोप तय करते समय प्रयोग किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी थी कि सबूत, अगर खंडन नहीं किया गया, तो सजा हो जाएगी।" हालाँकि, उच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा निर्धारित परीक्षण का विरोध नहीं किया है और न ही सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई ठोस कारण बताया है , लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए, हमने सबूतों पर गौर किया है, जो रिकॉर्ड पर आए हैं। ट्रायल कोर्ट के समक्ष ... ... आवेदन को खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों में कहा गया था कि आवेदन गलत इरादे से दायर किया गया प्रतीत होता है, यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी अनदेखी नहीं की गई है।

13) पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, हमने पाया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 4 की धारा 376(2) के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता को बुलाने का आदेश बच्चों के संरक्षण की धारा 5/6 के साथ पढ़ा गया है। यौन अपराध अधिनियम, 20125 कानून में टिकाऊ नहीं है।

संक्षेप में 4, ' आईपीसी '
5 संक्षेप में, 'POCSO अधिनियम'

14)अभियोक्ता एक छोटा बच्चा है। यह बच्चे के माता–पिता ही हैं जिन्होंने चश्मे वाले एक व्यक्ति को आरोपी के रूप में पेश करने के लिए या तो स्कूल की वेबसाइट से या फेसबुक से तस्वीरें ली हैं। जैसा कि पीड़िता के पिता ने एफआईआर में खुलासा किया है, पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बारे में प्रारंभिक संस्करण में एक व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन गौरी वोहरा (पीडब्ल्यू–) के बयान के मद्देनजर

11), यह गुस्सा उस स्कूल के प्रबंधन के ख़िलाफ़ था जिसका अपीलकर्ता हिस्सा है। भले ही बच्चे के पिता के पास स्कूल के प्रबंधन से नाराज होने का आधार हो, लेकिन हम पाते हैं कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता की ओर से छोटे बच्चे का उल्लंघन करने में किसी भी सक्रिय भूमिका का कोई मामला नहीं बनता है। प्रभावशाली उम्र के बच्चे के बयान पर अन्य व्यक्तियों की भागीदारी यह विश्वास पैदा नहीं करती है कि अपीलकर्ता पर संहिता की धारा 319 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। वास्तव में, यह परिवार की विचारोत्तेजक भूमिका है जो अपीलकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से फंसाने के लिए बच्चे के दिमाग पर प्रभाव डालती है।

15) जाहिर है, बच्चे के पिता को स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए क्योंकि जब उनकी बच्ची अपीलकर्ता द्वारा प्रबंधित स्कूल में पढ़ रही थी तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन, हमने पाया कि पिता का गुस्सा स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ था। अपीलकर्ता को शामिल करना आईपीसी की धारा 376(2) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

16) चश्मा पहने हुए व्यक्ति को आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए बच्चे का बयान उसे अपराध के मुकदमे में खड़ा करने के लिए प्रथम दृष्टया से अधिक खुलासा करने वाला विश्वास प्रेरित नहीं करता है। इसलिए, हमारा मानना है कि संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को बुलाने का आदेश कानूनी नहीं है। तथ्य यह है कि जांच के बाद अभियोजन पक्ष को वर्तमान अपीलकर्ता पर आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किए गए जघन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह स्कूल के प्रबंधन का हिस्सा था। हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य केवल यह पता लगाने के लिए निकाले हैं कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, जो अदालत के समक्ष लंबित अपराधों के लिए उसके मुकदमे की गारंटी देता है।

17) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को बुलाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और आवेदन खारिज कर दिया गया है।

Digitally signed by KUWAR ROHIT ANAND
Date: 2023.11.04 14:36:06 EAT
Reason: Translation
Location: District and Sessions Court, raebareli